



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1229]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2009/श्रावण 16, 1931

No. 1229]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2009/SRAVANA 16, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2009

का.आ. 2070(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1585 (अ) तारीख 10 नवम्बर, 2005 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 के 12.600 कि.मी. से 84.700 कि.मी. (इन्दौर - खलघाट सेक्शन) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 12.600 कि.मी. से 84.700 कि.मी. (इन्दौर - खलघाट सेक्शन) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त सेक्शन कहा गया है), तक के विद्यमान दो लेन वाली सड़क को चार लेन की सड़क बनाने, विकास, प्रचालन और अनुक्षण के लिए मैसर्स ओरियन्टल पाथवेज (इन्दौर) प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, 21 कामर्शियल काम्प्लेक्स, मालचा मार्ग, डिपलोमेटिक इन्कलेव, नई दिल्ली - 110021 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात रियायतग्राही कहा गया है) के साथ करार किया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 और 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त सेक्शन के निर्माण, अनुक्षण, प्रबंध और प्रचालन में अर्न्तवलिप्त व्यय, विनिधान की गई पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात की मात्रा और प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गये करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खंड के उपयोग के लिए नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यानों के प्रकार पर उसके स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट फीस दरों पर

फीस उदग्रहीत और संगृहीत करेगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से इनमें से जो भी पश्चात् हो, समाप्ति की तारीख तक फीस संगृहीत प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

## सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रवर्ग	प्रत्येक एक ओर की यात्रा के लिए प्रति यान प्रति किलोमीटर आधार फीस की दर ( रुपए में )
(1.)	(2.)	(3.)
1.	कार, यात्री वैन और जीप	0.40
2.	हल्के वाणिज्यिक यान और मिनी बस	0.70
3.	ट्रक और बस	1.40
4.	बहुधुरीय यान (>2 धुरीय)	2.25
5.	अर्थ मूविंग उपस्कर और भारी संनिमार्ण मशीनरी यान	3.30

टिप्पण:-

1. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :-

(क) "वास्तविक फीस" से उक्त खंड के उपयोक्ताओं से निम्नलिखित के आधार पर प्रभारित वास्तविक फीस अभिप्रेत है ;

(क) इसकी लम्बाई किलोमीटर में ; और

(ख) उपर्युक्त आधार सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दर पर फीस और एक रूपये का निकटतम पूर्णांक ।

(ख) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको उक्त सेक्शन पर वाणिज्यिक प्रचालन प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार के उपबन्धों के अनुसार उक्त सेक्शन के पूरा होने पर, स्वतंत्र परामर्शी द्वारा यथास्थिति, पूर्णतः प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र, जारी किए जाने के पश्चात् प्रारंभ होता है ।

(ग) "दिन" से 24 घंटे की निरंतर अवधि अभिप्रेत है ।

(घ) "स्थानीय निजी यातायात" से ऐसे निजी यान ( कार/ यात्री/ वैन /जीप ) अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत सारणी में क्रम संख्या 1 के सामने विनिर्दिष्ट प्रवर्ग का निजी यान है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा रियायतग्राही के पास रजिस्ट्रीकृत हैं जो सामान्यतया ऐसे स्थान पर निवास करता हो या कार्य करता है जहाँ सामान्यतया उक्त सेक्शन के केवल एक भाग का उपयोग करके ही पहुँचा जा सकता है और इसलिए ऐसे व्यक्ति अपने कार्य स्थल या निवास से आने या जाने के सामान्य अनुक्रम में उक्त सेक्शन के किसी भाग पर यात्रा करने के लिए ऐसे यान का उपयोग करना अपेक्षित है।

(ङ) "स्थानीय वाणिज्यिक यातायात" से ऐसा वाणिज्यिक यान अभिप्रेत है, जिसके अतर्गत बस, ट्रक या हल्के मोटर यान या टैक्सी भी है जो यात्रियों को लाने या ले जाने में लगी है, जो उक्त सेक्शन पर एक से अधिक पथकर प्लाजाओ पर दिए बिना नेमी रूप से चलने के लिए रियायतग्राही के पास रजिस्ट्रीकृत हैं ।

(ग) "समाप्ति की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया उक्त करार, उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है।

(छ) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु उक्त खंड के सम्बन्ध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार में परिभाषित हैं क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उक्त करार में हैं।

2. फीस संग्रहण पथकर प्लाजा 82.800 कि.मी. ( डिजाइन चैनज 75.700 ) कि.मी. पर स्थित होगा पर किया जायेगा।

3. वास्तविक फीस तथा उसका पुनरीक्षण जो कि प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर से प्रभावी होगा कि संगणना निम्नानुसार की जाएगी:-

आधार फीस X  $\frac{\text{थो.की.सू.-ख}}{\text{थो.की.सू.-क}}$  X उक्त खंड की लम्बाई ( कि.मी. में )

जहाँ

(i) थो.की.सू.-क जून 1997 (131.4) को थोक कीमत सूचकांक है ;

(ii) थो.की.सू.-ख = पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय उपलब्ध थोक कीमत सूचकांक

है।

4. जब किसी यान को किसी दिन उक्त सेक्शन को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना हो, तो उपयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहले ही चक्कर में पथकर प्लाजा को पार करते समय सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट आधार दरों पर अनेक चक्करों के लिए फीस का डेढ़ गुना संदाय कर दे और जहाँ ऐसा यान को उक्त सेक्शन का पूरे मास में निरंतर और बार-बार प्रयोग करना हो तो उपयोक्ता उपरोक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट एकल चक्कर को लागू दर के 30 बार के संदाय के बराबर पर प्राप्त कर सकता है।

परन्तु उपरोक्त रियायत स्थानीय यातायात पर लागू नहीं होगा।

5. निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में कोई फीस प्रभारित या संगृहीत नहीं की जाएगी, अर्थात:-

(i) ऐसे यान -

(क) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति" प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं :-

(क) भारत के राष्ट्रपति;

(ख) भारत के उपराष्ट्रपति;

(ग) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल;

- (घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;
- (ङ) “सी डी”/ “सी सी” नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक;
- (च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या केंद्रीय अथवा राज्य मंत्री अथवा लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनकी हैसियत कैबिनेट मंत्री की है, यदि वे स्वयं यान में बैठें हों;
- (छ) सम्पूर्ण देश में संसद सदस्य, या अपने राज्य किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य या राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;
- (ख) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ;
- (ii) रक्षा यान, जिनके अंतर्गत वे यान भी हैं जो भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथाविस्तारित) के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हैं ।
- (iii) पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्तव्यारूढ़ यान ।

6. रियायतग्राही निम्नलिखित दरों से अधिक कोई फीस स्थानीय यातायात से वसूल नहीं करेगा अर्थात्:-

विशिष्टियाँ	विनिर्दिष्ट प्रवर्ग यानों पर लागू रियायती फीस का प्रतिशत
(i) स्थानीय निजी यातायात	विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के यान की फीस का पच्चीस प्रतिशत
(ii) स्थानीय वाणिज्यिक यातायात	विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के यान की फीस का पचास प्रतिशत:

परन्तु, जहां स्थानीय यातायात मुक्त उपयोग के लिए पृथक सेवा लेन उपलब्ध है, वहां रियायतग्राही ऐसे स्थानीय यातायात से फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत करे या जब वे उक्त सेक्शन का उपयोग करते हैं।

7. रियायतग्राही, इस अधिसूचना का सार जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख भी है कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम से कम दस दिन पहले और पुनरीक्षित फीस को भी प्रभावी बनाने के दस दिन पहले प्रकाशित करेगा ।

8. रियायतग्राही ऐसे किसी अधिकारी को फीस संग्रहण के भार साधक के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा और रियायतग्राही और उक्त अधिकारी संयुक्ततः और पृथकतः यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी

होगे कि फीस का संग्रहण करार की गई दरों से ही हो रहा है और फीस का संग्रहण सड़क उपयोक्ताओं को और उससे संबंधित विषयों के लिए असम्यक् कठिनाई पहुँचाए बिना सहज रूप से है।

9. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और रियायतग्राही का नाम, पता और टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जा सकेगी और पथकर प्लाजा से 500 मी. आगे, पथकर प्लाजा से 100 मी. आगे और पथकर प्लाजा पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित की जाएगी और संप्रदर्शन बोर्ड की ऊँचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्ड का पढ़ना आसान हो सकें।

10. उपयोक्ताओं से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक फीस की संगणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के बाद किंतु पुनरीक्षित दर प्रभावी होने से कम से कम पैंतालीस दिन पहले, आथासम्भव शीघ्र विधिमान्यता के लिए प्राधिकरण को भेजी जाएगी जिससे कि प्राधिकरण, उक्त प्रस्ताव की प्रप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर कोई टीका टिप्पणी कर सके या स्पष्टीकरण यदि कोई हो मांग सके और यदि प्राधिकरण इस अवधि के दौरान कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है या स्पष्टीकरण नहीं मांगता है तो रियायतग्राही द्वारा यथा प्रस्तावित पुनरीक्षित फीस प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई मानी जाएगी।

[फा. सं. एन एच ए आई/13013/480/09-10/सी.ओ./जीसी इन्दौर-खलघाट बीओटी]

प्रभाकर, उप-सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2009

**S.O. 2070(E).**—Whereas, vide the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) notification number S.O.1585 (E), dated the 10<sup>th</sup> November, 2005, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government entrusted the section from Km. 12.600 to Km. 84.700 (Indore - Khalghat section) of National Highway No. 3 in the State of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And Whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s Oriental Pathways (Indore) Private Ltd. having its registered office at 21, Commercial Complex, Malcha Marg, Diplomatic Enclave, New Delhi-110021 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the development, operation and maintenance of the existing two lane road into four lane road from Km 12.600 to Km. 84.700 (Indore - Khalghat section) of the National Highway No. 3 in the State of Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the said section);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 7 and 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways (Collection of Fees by any person for the Use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on

2374 GI/09-2